



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17022022-233560
CG-DL-E-17022022-233560

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 725]
No. 725]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 16, 2022/माघ 27, 1943
NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 16, 2022/MAGHA 27, 1943

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 2022

का.आ.745(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 के अनुसरण में, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना जो संख्यांक का.आ. 4256(अ), तारीख 12 अक्टूबर, 2021 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में आरंभिक पैरा के अधीन, -

- (i) क्र.सं. 1 के सामने, स्तंभ (2) में “राजीव स्वरूप” शब्दों के स्थान पर “राजीव स्वरूप” शब्द रखे जाएंगे ;
- (ii) क्र. सं. 3 के सामने, स्तंभ (2) में “सदस्य” शब्द का लोप किया जाएगा ;
- (iii) पैरा 4 में “(एसईएसी-1)” कोष्ठकों, अक्षरों और अंकों के पश्चात् “यथास्थिति राज्य स्तरीय विशेषज्ञ आकलन समिति-1 (एसईएसी-1) या राज्य स्तरीय विशेषज्ञ आकलन समिति-2 (एसईएसी-2)” शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे।

[फा. सं. जे-11013/29/2007-आईए.II(I)]

डॉ. सुजीत कुमार बाजपेयी, संयुक्त सचिव

टिप्पण :- मूल अधिसूचना सं. का.आ: 4256(अ), तारीख 12 अक्टूबर, 2021 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th February, 2022

S.O. 745(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 4256(E), dated the 12th October 2021, namely:-

In the said notification, in the table under the opening paragraph,-

- (i) against serial number.1, in column (2), for the words "*Rajeev Swarup*", the words "*Rajeeva Swarup*" shall be substituted;
- (ii) against serial number.3, in column (2), the word "*Member*" shall be omitted;
- (iii) in paragraph 4, after the brackets, letters and figure "*(SEAC-1)*", the words, figures, brackets and letters "*or State level Expert Appraisal Committee-2 (SEAC-2), as the case may be*" shall be inserted.

[F.No. J-11013/29/2007-IA.II(I)]

Dr. SUJIT KUMAR BAJPAYEE, Jt. Secy.

Note:- The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 4256(E), dated the 12th October 2021.